रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2001/वैशाख 28, 1923

No. 249] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2001/VAISAKHA 28, 1923

IndiaCode

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

(प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2001

सा.का.नि. 370(अ).—प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) की धारा 6 के खंड (क) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (साम्या पूंजी) विनियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (साम्या पूंजी) संशोधन विनियम, 2000 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (साम्या पूंजी) विनियम, 1998 के विनियम 3 में उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :

"(2) बोर्ड किसी कम्पनी के स्वाधारण शेयरों में, कार्यकारण पूंजी के लिए मार्जिन राशि सहित परियोजना लागत की 25 प्रतिशत निवेश कर सकता है, परन्तु इस प्रकार का निवेश सम्प्रवर्तकों द्वारा समादत्त पूंजी से अधिक नहीं होगा और नई कम्पनी की दशा में, बोर्ड सम्प्रवर्तकों द्वारा समादत्त की जाने वाली पूंजी की मात्रा विनिश्चित कर सकेगा ।" ।

[फा. सं. 33/1/97-टी डी बी]

एस. बी. कृष्णन, प्रधान सलाहकार, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

टिप्पणी :—मूल विनियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 668(अ) तारीख 10 नवम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

(TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2001

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 22 read with clause (a) of Section 6 of the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995), the Technology Development Board hereby

makes the following regulations to amend the Technology Development Board (Equity Capital) Regulations, 1998, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Technology Development Board (Equity Capital) Amendment Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Technology Development Board (Equity Capital) Regulations, 1998, in regulation 3, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) The Board may invest in equity shares of a company upto 25 per cent of the project cost, including margin money for working capital, provided such investment does not exceed the capital paid-up by the promoters and in the case of a new company, the Board may decide the quantum of capital to be paid-up by the promoters.".

[F. No. 33/1/97-TDB]

S. B. KRISHNAN, Principal Adviser, Technology Development Board

Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 668(E) dated the 10th November, 1988.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.